

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति चूरु

क्रमांक : एफ()/प.स.चू./2019-20/418-23


दिनांक : 17/07/19

ई-निविदासूचनासंख्या 08/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति चूरुद्वारा कार्यालय सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति राजगढमें एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धक कार्यक्रम के तहत विभागीय मद (एनआरएम)से स्वीकृत कार्यों के सम्पादन हेतु मय दो वर्ष की डिफेक्टिव लाईबिलिटी पिरियड के साथ उपयुक्त श्रेणी के राजस्थान/केन्द्र सरकार में पंजीकृत संवेदको से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा <http://sppp.rajasthan.gov.in/>, <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकती है।

क.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फिस	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Supplying and fixing chain link fencing with iron gate and chowkidar hutin Sub committee (Watershed) Gram PanchayatMahlanaUtradha,village-MahlanaDikhnada/ iwmp-36, P.S - Rajgarh	6.80	13700	500	500	01 month
	ऑनलाईन फार्म डाउनलोड/ अपलोड करने की दिनांक	दिनांक 22.07.2019 को समय प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 29.07.2019 को समय सायं 6.00 बजे तक				
	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क डीडी व अन्य दस्तावेज कार्यालय मे जमा कराने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30.07.2019 को समय दोपहर 1.00 बजे तक				
	ऑनलाईन निविदा खोलने का दिनांक	दिनांक 31.07.2019 को समय दोपहर 2.00 बजे				


निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.watershedrajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति चूरु
दिनांक : 17/07/19


क्रमांक : एफ()/प.स.चू./19-20/418-23

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
- श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का नियमानुसार न्यूनतम साईज में एक मुख्य क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।
- श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटर शोड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद चूरु।
- श्रीमान सहायक अभियन्ता पदेन पीआईए पंचायत समिति, राजगढ
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय परि. प्रबन्धक, डब्ल्यूसीडीसी, जि.प. चूरु/अधिशाषी अभियन्ता ज.ग्र.वि. एवं भू.सं. विभाग प.स. चूरु


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति चूरु

1. धरोहर राशि व निविदा शुल्क PIA(IWMP) MAHALANA UTRADA के नाम से देय होगा।
2. ठेकेदार/संवेदक को श्रम अधिनियम एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम व उपकर अधिनियम 1996 इससे संबंधित सभी नियमों की पालना करनी होगी।
3. आवेदक को निविदा के साथ सक्षम श्रेणी के राजकीय/केन्द्र सरकार में पंजीकरण की प्रतिलिपि एवं इस बात का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी राजकीय/उपकर्मा में बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैक लिस्टेट नहीं हुआ है।
4. निविदा में प्रस्तुत सभी प्रपत्र निविदादाता के हस्ताक्षरयुक्त होना आवश्यक है।
5. आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में **मैनेजिंग डायरेक्टर आरआईएसएल जयपुर के पक्ष** में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए तथा इसकी वैधता कम से कम बोली खुलने की तिथि से तीन माह होनी चाहिए।
6. बोलीदाता निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि व आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस की डीडी/बैंकर चैक निर्धारित तिथि तक भौतिक रूप से इस कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
7. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वैब साईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे। उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।
8. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदा दाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।
9. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्रों के साथ बोली शुल्क धरोहर राशि तथा आरआईएसएल के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां वैब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कराना अवश्यक है। उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां आवश्यक रूप से बोली शुल्क व धरोहर राशि व आरआईसीएल के पक्ष में देय शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
10. बोली प्रपत्र के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। बोली प्राप्ति तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस माना जावेगा।
11. बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगा।
12. संबंधित कार्य की बोली उपरान्त न्यूनतम बोलीदाता को अनुबंध करने से पूर्व बीएसआर दर से 10 प्रतिशत बिलों से अधिक कमदर प्राप्त होने पर अंतर की राशि इस कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।
13. राज्य सरकार के आदेश की पालना में निर्माण कार्यों में कार्य की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट संबंधित संवेदक द्वारा बिलों के साथ प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
14. विभागीय योजना में व्यक्तिगत लाभान्वित (काश्तकार) के जिन कार्यों को संवेदक द्वारा किया जायेगा उनकी हिस्सा राशि (सामान्य एवं ओबीसी श्रेणी के व्यक्तियों के कार्य की स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत व एससी,एसटी,बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों के कार्य की स्वीकृत राशि का 5 प्रतिशत) को लाभान्वित से प्राप्त कर आवश्यक रूप से राज कोष में जमा करवाना संवेदक की जिम्मेवारी होगी। संवेदक लाभार्थी से नगद/श्रम/सामग्री के किसी भी रूप में हिस्सा राशि ले सकेगा।


 अधिशाही अभियन्ता
 जलग्रहण विकास एवं सुरक्षण
 जल ग्रहण विकास एवं सुरक्षण
 पंचायत समिति, चूरु